

सेमेस्टर - तृतीय

विषय : कम्पनी विधि

अध्याय - 1

आलोक कुमार राय (जबक्ता)
लोक बन्धु राजनरायण विद्येश महानिधिलाल

कम्पनी की अवधारणा :-

कम्पनी शब्द दो लैटिन शब्द

COM और PANIS से मिलकर बना है जिसका
अर्थ क्रमशः 'साथ-साथ' और 'रोटी' होता है।

अर्थात् "The Association of Person who
takes their meals together" is called company
व्याकृतियों का एक संगठन जो शोजन के
लिए एकत्रित होता था उसी को कम्पनी कहते हैं।

सामान्य शब्दों में कम्पनी से आशय
'नियमित व्याकृतियों के समूह से है।'

विधिक रूप में अर्थात् कम्पनी आधिनियम 2013
की धारा 2(20) के अनुसार कम्पनी से अभिप्राय -
"कम्पनी आधिनियम के अन्तर्गत संगठित
और पंजीकृत की गई कम्पनी से है।"

अर्थात् या इसरे शब्दों में - "कम्पनी से आशय
व्याकृतियों के एक समूह से है जिसने कम्पनी
का निर्माण और पंजीकरण कम्पनी आधिनियम 2013
के अन्तर्गत या कम्पनी आधिनियम 1956, 1913, 1882
इत्यादि में कराया है।"

कै-कॉर्परेशन लॉ के शब्दों में -

REDMI NOTE 7 PRO कम्पनी नियमित संस्था के रूप में
AI DUAL CAMERA कारोबार चलाने का एक तरीका है।

कम्पनी के प्रकार

निगमित कम्पनियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं।

1. राजपत्र द्वारा निगमित कम्पनी: इसका निर्माण राजपत्र द्वारा होता था। जैसे: ईस्ट इंडिया कॉम्पनी अब उपयोग में नहीं।
2. संसदीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी: इसका निर्माण संसद द्वारा विशेष अधिनियम द्वारा कर किया जाता है। उदाहरणार्थ LIC, GIC, IDBI, SIDBI etc.
3. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार कोई कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम 2013 के कम्पनी अधिनियम, 1956, 1913, 1882 इत्यादि के अनुसार पंजीकृत हो।
4. साधित्व के आधार पर इसे दो कॉलोर्डो में विभक्त किया जाता है।

1. अपरिसीमित साधित्व वाली कम्पनी

2. परिसीमित साधित्व वाली कम्पनी

AI DUAL CAMERA



1. अपरिसीमित दायित्व काली कंगमनीमेहस्य - (धारा 2(१२))

इस कम्पनी में प्रत्येक सदस्य का दायित्व असीमित होता है। संगमनीपत्र के अनुसार प्रत्येक सदस्य कम्पनी के समर्त व्यक्तियों के लिए व्यावितिगत रूप से दायी होते हैं।

2. परिसीमित दायित्व काली कंपनी :-

इसकी दो छोटी होती हैं -

1. गारण्टी द्वारा परिसीमित कंपनी

2. अंश इंजीनियर द्वारा परिसीमित कंपनी

1. गारण्टी द्वारा परिसीमित कंपनी : (धारा 2(२१))

गारण्टी द्वारा परिसीमित कंपनी में दायित्व संगमनीपत्र में अभिलिखित धन तक ही सीमित होता है।

2. अंश इंजीनियर द्वारा परिसीमित कंपनी (धारा 2(२२))

इसमें अंश धारक कंपनी के अहन अंश की एकम तक ही दायी होते हैं। कंपनी के परिसमाप्त पर अहन एकम की अनुचान करते हैं।

‘इनको अपनी भागों में विभक्त किया जाता है।’

1. निजी कंपनी

2. सार्वजनिक कंपनी

3. एक व्यावरी कंपनी

3. निजी कंपनी (धारा 2(६४)) :

निजी कंपनी से आशय ऐसी

निम्नलिखित प्रातिक्रिया लगाए गए हैं।

1. न्यूनतम सेवन इंजी - न्यूनतम 1 लाख होने चाहिए
2015 से इसको हरा लिपा गया है। न्यूनतम 2 व अधिक 2 का समय
2. अंशों के अन्तरण पर प्रातिक्रिया
3. इंजी इन्सुइर करने के लिए विवरण पत्र जारी करने पर प्रातिक्रिया (घारा 7)

2. सार्वजनिक कंपनी: (घारा 2 (7))

ऐसी कंपनी जिसका स्वामित्व सामाजिक जनता में अंशधारक के रूप में वितरित होता है वह इसका आदान प्रदान बाजार मूल्य पर स्टॉक एक्सचेन के माध्यम से कर सकता है।

3. एक व्याक्ति कंपनी (घारा 2 (62))

एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक ही सदस्य होता है वह एक अ-अधिकारी को नामिनी बनाकर एक व्याक्ति कंपनी का निर्माण कर सकता है। कंपनी के सदस्य की मृत्युपरान्त नामिनी कंपनी का सदस्य बन जाता है।

नियंत्रण की दृष्टि से कंपनी को 4 भागों में विभक्त करते हैं।

1. सरकारी कंपनी घारा 2(45)

2. समनुसंगी प्रा नि-एक कंपनी घारा 2(46)

3. सहायक कंपनी घारा 2(87)

4. सेवकी कंपनी कंपनी घारा 2(6)

AI DUAL CAMERA

कम्पनी की प्रकृति

जब कम्पनी पंजीकृत होती है तब उस पर संवैधानिक

उपचित्तत्व का आवण पड़ जाता है। इसे मनुष्य के समान समृद्धि अधिकार व शक्तियों पाप्त हो जाती है। इसका आलिल, इसके सदस्यों ने पृथक् रूप आवोचन होता है। सदस्यों की छत्यु हो सकती है या ने बहुत झल्ले हैं किन्तु कम्पनी तक तक चलती रहती है जब तक की आधेनियम के द्वारा विनियिष्ट आधारे पर उसका समापन नहीं हो जाता। अन्य शब्दों में इसका तात्पर्य है कि कम्पनी का इस शास्त्रबत उत्तराधिकार होता है। इस कम्पनी अपने नाम से सम्पत्ति रख सकती है। जोके में इसका रन सकती है। वरण ने सकती है, दायित्व उत्पन्न कर सकती है, और संविदाये कर सकती है। यहाँ तक कि कोई भी सदस्य कम्पनी के साथ संविदा कर सकता है, उसके विचार आधिकार प्राप्त कर सकता है या उसके प्राते दायित्व उत्पन्न कर सकता है। कम्पनी के कर्णों के लिए, कम्पनी के लेनदार हो केकल कम्पनी पर दावा कर सकते हैं उसके सदस्य नहीं क्योंकि कम्पनी की लिमिटेड व्यक्ति होती है, अतः यह केवल जैसे निदेशकों के जारी है। ने कम्पनी के किया कलापों के कठिनार हैं और वे इसके स्टोर के रूप में कार्य करते हैं। परन्तु ने कम्पनी के सदस्यों के स्टोर नहीं हैं। औपचारिक कार्यों के अधिष्ठान के लिए इस सार्वभुदा (common seal) होती है। इसके नियन्त्रित विदुओं के सारांशित क्रियाज्ञा सकता है।

1. स्वतन्त्र नियमित व्यक्तित्व
2. सीमित दायित्व
3. शास्त्रबत उत्तराधिकार
4. अभिन्न सम्पत्ति
5. अन्तरणीय और
6. बहु समृद्धि
7. व्यावसायिक प्रबन्ध
8. वित्तीय सुविधाएँ
9. सार्वभुदा

इससे यह आप समझ गए होंगे कि कम्पनी

का अपना REDMI NOTE 7 PRO

AI DUAL CAMERA

निगमित व्याक्तित्व के सिद्धान्त

कम्पनी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इतना है

निगमित व्याक्तित्व का सिद्धान्त है। कम्पनी विधि की हाई से एक व्याक्ति होती है। यह ऐसी विधिक व्याक्ति होती है जिसका अपने सदस्यों से स्वतन्त्र आवित्ति होता है। जब कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी का अधिकारण हो जाता है तो उसे ऐसा निगमित व्याक्तित्व मिल जाता है जो सदस्यों से भिन्न होता है। निगमन का यह प्रभाव अधिनियम की धारा ३ में मिलता है। इसमें कहा गया है कि निगमन का प्रमाणपत्र के जारी हो जाने पर संगमदापन के हस्ताक्षरकर्ता तथा अन्य ऐसे व्याक्ति जो सम्प्र-समय पर कम्पनी के सदस्य होंगे, वे एक ऐसी निगमित निकाय होंगे जो तुरन्त ही त्रिगमित कम्पनी के कार्य करने के प्रोग्राम होंगी और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और कामन मुद्रा होगी। कम्पनी का उद्घोट रुद्ध ही एक संस्था बन जाता है। कोई वह नहीं कह सकता की कह कम्पनी का भालौक है। ऐसा कारोबार संस्था का कारोबार बन जाता है।

इस सिद्धान्त का सुप्रसिद्ध उदाहरण हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णीत सालोमन बनाम सालोमन रुड के बिन्दे बाट में मिलता है। या कह लिखिए इसी भास्त्रे में इसे प्रतिवादित किया गया

सालोमन ने स्वयं, अपनी पत्नी, चार बुवों स्वं एक पुरी सहित ८ औंशधारियों को शामिल करके सालोमन रुड कम्पनी~~सम्पत्ति~~ लिमिटेड नाम से एक कम्पनी निगमित की। इस कम्पनी ने सालोमन की व्याक्तिगत भावसामिक सम्पत्तियों को ३८७८२ पौंड में अधिकारित कर लिया और इसके बिले में एक एक पौंड के २०००० शेयर, १०००० पौंड के निवापत्र जो कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर प्रभारित थे और शेयराशी नकद प्राप्त की। उसकी पत्नी, पुरी व चारे बुवों ने एक एक पौंड के शेयर लिए। तत्पश्चात् सामान्य व्यापारिक मद्दी के कारण

कम्पनी का समापन हो गया। लेनदारों ने (Unsecured Creditors) ने यह तक दिया कि सालोमन को उसके पास करपापरों के लिए कम्पनी का सुरक्षित लेनदार नहीं माना जा सकता व्योंगे नहीं एक जनकम्पनी (One man company) का प्रबन्ध निदेशक था जो सालोमन से भिन्न नहीं थी और कम्पनी का लवाहा (cloak) के बल धोरवा था क्योंकि

~~विड~~ विड लाई मैकनाइन ने निम्न दिए कि -

“ कम्पनी कानून की हाई में सीमानियम पर हस्ताक्षर हो सकता है कि सवधी भिन्न व्यक्ति है, यद्यपि वह रहे जो सालोमन के बाद भी कम्पनी वही व्यापार करती लोभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी और उसके प्रबन्धक तथा प्राप्त करते थे। कानून की हाई में कम्पनी अपने अभिनाताओं की भी सहरणों के रूप में अधिनियम में निर्धारित विधि स्वं सीमा तक ही उत्तरदायी है उससे आधिक नहीं। ”

अत एवं इस बाद में यह स्पष्टतया कहा गया कि को कम्पनी की कृत्यों के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता।

"संगमज्ञापन"

किसी कामनी की स्थापना करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी कामनी जो सम्भव होता है। यह कानून ग्राम पंचायत अधिकारी के सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण आधिकारिक है, जिसे कामनी का चारों तरफ जाता है। इसमें निम्नलिखित रखणे होते हैं।

1. नाम रखण्
2. एप्रेस्ट्रीकृत कार्यालय या स्थान रखण्
3. उद्देश्य रखण्
4. दायित्व रखण्
5. संजीवी रखण्
6. नामेनाम रखण्

1. नामरखण् (धारा 4) विधेक व्यक्ति दोनों के कारण पहचान के लिए कामनी को कोई न कोई नाम देना आवश्यक होता है। इस कामनी का नाम उसके व्यक्तिगत आस्तील का प्रतीक होता है। इस पर तुड़ प्रतिक्रिया (धारा 4) के द्वारा सरकार की राय में कामनी का नाम अवोडनीय होता है, किसी तरह से गिरावट नहीं होता है। अगर कामनी का शायित्य स्वीकृत होतो तो उस ~~कंपनी~~ के अंत में Limited अगर प्राइवेट कामनी होतो उसमें Pvt Co. के द्वारा द्यक्त व्यक्ति कामनी की स्थिति में OPC Co. लागता आने पड़ती।

2. स्थानरखण् या रजिस्टर कार्यालय (धारा 12)

निम्न के 15 वें दिन से कामनी को अपना क्रियाशील एप्रेस्ट्रीकृत कार्यालय स्थापित करना होता है जो इस समय से नेहरु लगातार बना रहा है जो सभी सचिवालयों व सचिवाओं को प्राप्त करने समर्थ होता है (धारा 12(1))। कामनी को इस कार्यालय के बारे में किया जाया और किसी किसी ग्राम के सत्यापिता (धारा 12(2))

3. उद्देश्यस्तव्य - संगमरापन के तोसरे रवण में कामनीके उद्देश्यों का विवरण दिया जाता है। कामनीका उद्देश्य अवर्तनों की स्वेच्छा पर निर्भर होता है इसपर केवल इतना प्राप्ति करता है कि उद्देश्य विधेयूर्ण व कामनी अपि नियम के विपरीत न हो। बातव में शुचि (केवल ज्ञायें में लागू होती है) अंशाधारकों की भालून होना चाहिए इसलिए कामनी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इसमें लेनदारों की सुरक्षा मिलती है तथा इनकी कार्यवाह्यों का क्षेत्र नियन्त्रित व सीमित होने से अंशाधारकों को भी लाभ पहुँचता है।

4. दायित्वस्थण - (धारा 4(1)(d))

संगमरापन के दोथे रवण में सदस्यों का दायित्व बताया जाता है। यदि कामनी का दायित्व अंशों द्वारा सीमित करना है तो इस रवण में यह कहा जाता है कि सदस्यों का दायित्व अंशों द्वारा सीमित होता यदि कामनी का दायित्व गारणी द्वारा सीमित करना है तो यह बताया जाता है कि कामनी के परिसमापन में प्रत्येक सदस्य कितना कर्त्ता देने के लिए आवधि होगा। संसे दायित्व किसी सदस्य के हटाने के पश्चात् एक वर्ष तक बता रहता है।

5. दूजी रवण (धारा 4(1)(e))

संगमरापन के आन्तिम रवण में जितनी दूजी में कामनी स्थापित होती है उसका धन बताया जाता है तभा यह भी बताया जाता है कि दूजी कितने प्रकार के कितने अंशों में विभाजित होगो और प्रत्येक अंश का कितना भूल्म होगा पहले यह अनिवार्य किमा गया था कि लोक कामनी की सेवन दूजी कमी से कम ५ लाख रुपये त निती कामनी की। लाख रुपये दोगो या लाई रुपये रकम जो विहित की जाए। अब यह अप्रृष्ट २०१५ के संशोधन द्वारा दिया गया है।

6. गामेन्टस्तव्य एक व्याक्ति कामनी (धारा 4(1)(f)) की देशा और एक व्यक्ति को केवल यह बताना पड़ता है कि एक व्याक्ति की अयोग्यता को निरन्तर उसके स्थान पर कोन व्याक्ति कामनी का उपर्युक्त होगा।

7. आमेन्टन: संगमरापन के आन्तमें दूतांकरक्तीओं की अद्वारका होती है कि जिन व्यक्तियों के नाम तभा पते दिये जायें हैं। संगमरापन अन्तर्गत कामनी बनाने के लिए एक व्यक्ति का नाम जो आठों ग्रा। अंश के लिए दोता है।

संगम अनुच्छेद

इसको कम्पनी का अ-र्तिनियम भी कहा जाता है। इस आभालख में कम्पनी के आजारिक प्रबन्ध बहुतेयर क्रियापाता है। आबृप्तक समझे जाते हैं के बताए जाते हैं। कम्पनी आधानियम की प्रथम अनुसूची में संगम शापन तथा संगम अनुच्छेदों के नमूने दिए गए हैं। अनुसूची कई तालिकाओं में विभाजित है। ये नियम उचित है को बताए गए हैं। अंशों द्वारा सीमित दृष्टिकोण "सारणी च" में बताए गए संगम अनुच्छेद बनाये या ऐसी कम्पनी कोई संगम अनुच्छेद नहीं बनाती है तो सारणी च लाभ दो जाती है। इसका अतलब यह होने के सारणी च को अपनाते ही इसके उपबन्ध बिना किसी संदेह के बंध हो जाते हैं। संगम अनुच्छेद उपेंसा में चाहिए तथा अनुच्छेदों में विभाजित होना चाहिए तथा प्रत्येक एसा धारकी जिसके संग शापन पर हस्ताक्षर किए हैं उसको संगम अनुच्छेदों पर भी हस्ताक्षर करता दोगा।

संगम अनुच्छेदों में कोई भी एसा नियम बनाने की हर है जिसे अभिदाता उचित समझे। संगम अनुच्छेदों द्वारा एसा करने की शक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती जो निष्प्राण वार्षित है। इसमें निश्चय कृप से बोधकारी उपबन्धों की भविष्यवस्था की जा सकती है।

आधिकारातीत का सिद्धान्त (Doctrine of Ultra Vires)

आधिकारातीत या शक्तिबाह्य शब्द का अर्थ

है 'शक्ति या अधिकार से बाहर'। विधिक शब्द आधिकारातीत या शक्तिबाह्य के बल उन्हीं कार्यों पर लागू होता है जो कार्य करने वाले व्यक्ति के अधिकार या शक्ति से बाहर हैं। इससे अह धारणा बनती है कि शक्तियाँ प्रायः सीमित होती हैं। साधारण नागरिक के लिए जो कुछ कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दित नहीं किया गया है, वह सब कानून द्वारा मान्य है। ऐसा केवल तभी होता है जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून द्वारा व्यक्तित्व दिया जाय या इसके आवित्ति को मान्यता दी जाय - ऐसा कि सीमित कम्पनी के विषय में होता है - तो यह शक्ति स्पष्ट या गार्भित रूप से उस उद्देश्य सुनन की स्थिति में। किसी व्यक्ति पर लाइनों दोने वाली सामान्य विधि कुछ विपरीत है। जो कुछ भी स्पष्ट या गार्भित रूप से या इस प्रलेख के द्वारा मान्य नहीं है उसे किसी कानून द्वारा स्पष्टतः निषेध नहीं किया गया है बाकि आधिकारातीत या शक्तिबाह्य के सिद्धान्त द्वारा वर्णित किया गया है।

कम्पनी विधि का यह मौलिक सिद्धान्त है कि सीमानियम में अल्लाखिल उद्देश्यों से बाहर कोई कम्पनी कार्य आधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा तक दी कर सकता है - इतनादी और इससे अधिक नहीं (शक्ति रेलवे कम्पनी बतास रिशेंड का मान्यता इसका उदाहरण है)।

परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा किया गया कोई कार्य या कोई बाल्के कम्पनी की शक्ति से भी बाहर है। कम्पनी के पाते पूरीतः यदि इसी कारण कम्पनी को सीमानियम द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के अविहित अन्य उद्देश्यों के लिए धनराशि का उपयोग करने से रोकाजा सकता है।

इस सिद्धान्त का प्रभाव यह है कि कम्पनी द्वारा किसी शक्तिबाह्य कारोबार करने पर न कम्पनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और न कम्पनी स्वयं भुकर्मा चला सकती है। इसके सीमानियम इस सर्वजनिक प्रलेख के अन्तर्व आमजनता को निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहता है। इसलिए जब कोई कम्पनी को शाय व्यवहार करते हैं तो भान लिया जाता है कि वह कम्पनी की शक्तियों से परिचित है।